

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद।

पत्रांक TP 514 / न० नि०

श्री उमा शंकर मिश्रा पिता - स्व० रामनाथ मिश्रा स्व०

~~श्री~~ श्री संजय कुमार पिता - स्व० सुरजदेव सिंह,

पता - मौजा कंज, तिनीडीह, महुवन, धनबाद।

धनबाद, दिनांक 15/7/14

विषय:- आवासीय / व्यवसायिक / औद्योगिक / संस्थागत भवन निर्माण हेतु गृह प्लान केश न०
बी० डी० - 115/14-15 संबंधी आपके आवेदन दिनांक 21.5.14 के संबंध में।

महाशय,

आपके आवेदन, दलील संख्या - 1905, 3230, 848 दाखिल खारिज अभिलेख संख्या 051114-15, 1095111
जमाबंदी संख्या 5153, 5231, 5103 से निर्गत लगान रसीद वर्ष 13-14, 14-15 की अभिप्रमाणित प्रति,

शपथ पत्र एवं Indemnity Bond एवं तकनीकी सदस्य द्वारा किए गए अनुशांसा के आलोक में आपके द्वारा प्रस्तुत
आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संस्थागत भवन संबंधी बी० डी० केश न० 115/14-15 के नक्शे की
स्वीकृति प्रबंध निदेशक, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद द्वारा प्रदान की गई है।

निर्देशानुसार सूचित करना है कि प्लॉट-06 मौजा अन्तर्गत खाता न० 78
प्लॉट न० 4256, 4257, 4260, 4262 रकबा 10706 वर्गमीटर भूमि पर स्वीकृत नक्शे के अनुसार लाईसेंस
अभियन्ता श्री डॉ० अशोक कुमार की देख रेख में कार्यारम्भ के पूर्व निर्धारित प्रपत्र में
अधोहस्ताक्षरी को कार्यारम्भ की जानकारी उपलब्ध करायेंगे।

स्वीकृत नक्शे के अनुसार अधिकतम 2 वर्षों में कार्य पूर्ण कर अधिनियम के तहत निर्माण पूरा होने की लिखित
जानकारी अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे।

प्रबंध निदेशक के लिखित पूर्वानुमति के बगैर किये गये किसी भी विचलन निर्माण को नियमित नहीं किया जा
सकेगा, बल्कि उसे तोड़ना ही एकमात्र विकल्प होगा।

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार के संबंधित पदाधिकारी से निर्माण कार्य का निरीक्षण समय समय पर कराना
सुनिश्चित करेंगे।

आप स्वीकृत नक्शे में दर्शाये नाली से हटकर अन्य नाली का निर्माण नहीं करेंगे।

माडा भवन विनियम के दायरे में आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संस्थागत भवन निर्माण हेतु स्वीकृत
नक्शा, स्वत्व, अधिकार एवं दखल का प्रमाण नहीं है।

जिस प्रयोजन के लिये भवन निर्माण का नक्शा स्वीकृत किया गया है निर्मित भवन का व्यवहार उसी प्रयोजन के
लिये किया जा सकेगा।

जल संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा हेतु आवश्यक प्रबंध के लिये आप स्वयं जिम्मेवार रहेंगे तथा स्वीकृत आदेश
राज्य सरकार/नेशनल बिल्डिंग कोड के अद्यतन आदेशों, निर्देशों एवं प्रावधानों से स्वतः प्रभावित होगा।

आवेदक द्वारा उपकर के मद में 25% कुल रू० 81,250/- जमा किया गया है। शेष राशि आवेदक
द्वारा सहायक श्रमायुक्त धनबाद के कार्यालय में जमा करना स्वयं सुनिश्चित करेंगे।

प्रमाणित
नगर निवेशक/तकनीकी सदस्य

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार

धनबाद। 15/7/14